अभिरूचि की अभिव्यक्ति सं:-01-17/राभा/2015-16 FSSAI

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अनुवाद एजेन्सियों को नामिकागत (इंपैनलमेंट) करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध

अस्वीकरण

यह अनुरोध भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि अनुवाद एजेन्सियों को नामिकागत करने के लिए किसी एजेंसी को चुनने हेतु पात्र इच्छुक बोलीदात्ताओं से उनका उत्तर प्राप्त करने के लिए एक आमंत्रण है। आर एफ पी प्रक्रिया से कोई संविदात्मक बाध्यता चाहे जो कुछ हो, उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि और अन्यथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बोलीकर्त्ता के साथ किसी औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं हो जाता है। इस दस्तावेज को समग्रता के साथ पढ़ा जाए।

विषय सूची की सारणी

क्रम सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में	01
2.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति	01
3.	पात्रता मानदंड / पूर्व-अर्हता मानदंड	01
4.	निविदा दस्तावेज और इसका प्रस्तुतीकरण	01
5.	निविदा को खोलना और मूल्यांकन	02
6.	अनुवाद एजेंसी का इंपैनलमेंट	02
7.	भुगतान की शर्तें	02
8.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की रद्दकरण	03
9.	संपर्क का अभिहित बिन्दु	03
10.	संलग्नक-तकनीकी बोली के लिए उत्तर प्रपत्र	4 एवं 5
11.	अस्वीकरण	5

1. भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण के बारे में

भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई), दिल्ली स्थित मुख्यालय की स्थापन खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन की गई है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक विनियामक निकाय है।

2. अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रयोजन

1. भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के लिए अनुवाद एजेंसी (अंग्रेजी/हिंदी) को नामिकायन (इम्पैनल्ड) करने के लिए इच्छुक है। उपर्युक्त एजेंसी को निर्धारित दर पर प्राधिकरण की अनुवाद सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी और यथापेक्षित हिंदी से अंग्रेजी में समयबद्ध आधार पर अनुवाद करना अपेक्षित होगा।

2. भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिरण पात्र एजेंसियों से दिनांक 01.12.2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति का अनुरोध करता है जिसे आगे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो एजेंसी के संतोषजनक कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगा।

3. पात्रता मानदंड/ पूर्व- अर्हता मानदंड

3.1 एजेंसी को नई दिल्ली में स्थित होना चाहिए और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मुख्यालय, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002 के समीपस्थ (7 कि. मी दूरी के अंतर्गत) स्थित को वरीयता दी जाएगी।

4. बोली दस्तावेज तथा इसका प्रस्तुतीकरण

4.1 बोली फॉर्मेट

नई दिल्ली स्थित सभी प्रतिष्ठित अनुवाद एजेंसियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। निविदाओं को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में अनुवाद (अंग्रेजी/हिंदी) एजेंसियों के नामिकायन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति) लिखा जाना चाहिए। हिंदी/ अंग्रेजी अनुवाद के लिए वित्तीय ब्यौरे जिसमें प्रति शब्द अनुवाद, प्रूफ रीडिंग, पुनरीक्षण तथा सभी कर शामिल हैं, को भी उद्धत किया जाए।

4.2 प्रत्युत्तर की प्रतियां

प्रत्यर्थी अपने प्रस्ताव (निविदाओं) की दो हार्ड प्रतियां इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर संपर्क के अभिहित स्थान पर प्रस्तुत करें।

4.3 बोली की वैधता

बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों की वैधता प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह के लिए होगी।

4.4 उत्तर देने की तारीख

उत्तर देने की निर्धारित तारीख 16.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे है। "अनुवाद (अंग्रेजी/ हिंदी) के लिए नामिकायन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति" लिखा निविदा लिफाफा सहायक निदेशक (राजभाषा), राजभाषा अनुभाग, एफएसएसएआई, एमएमयू भवन, डी ए भवन पास, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 के पास जमा करना होगा।

5. बोलियों को खोलना और मूल्यांकन

5.1 बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में, जो चाहें, निविदा तारीख 16.11.2016 को 12.00 बजे खोली जाएगी।

5.2 मूल्यांकन के मानदंड

गुणवत्ता के आधार पर बोलियों का विश्लेषण किया जाएगा।

6. अनुवाद एजेंसी का इंपैनलमेंट

6.1 निविदाताओं द्वारा दी गई दरों तथा उद्धृत कार्य निष्पादन गुणवत्ता के आधार पर उनका नामिकायन होगा।

6.2 एफएसएसएआई द्वारा सफल निविदा दाताओं को दो प्रतियों में नानिकायन पत्र जारी किए जाएंगे जिसके साथ इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति में ऑनलाइन दिए मोटे तौर पर सहमत विविध खंड होंगे। निविदा दाता इसकी एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे एफएसएसएआई को लौटा देगा।

7. भुगतान की शर्तें

तय शर्तों तथा अनुवादित सामग्री की गुणवत्ता देखने के बाद भुगतान किया जाएगा।

8. अभिरूचि की अभिव्यक्ति का निरस्तीकरण

किसी भी स्तर पर एफएसएसएआई को प्रतीत हो कि अभिरूचि की अभिव्यक्ति का निरस्तीकरण इसके सर्वाधिक हित में है तो ऐसा करने का उसका अधिकार सुरक्षित है। निविदा दाता यदि संविदा/ समझौता को रद्द करना चाहे तो उसे कम से कम तीन महीने पूर्व सूचना देनी होगी।

9. संपर्क का अभिहित बिन्दु

इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति तथा उत्तर देने और पत्राचार करने के लिए एफएसएसएआई का एकल संपर्क बिन्दु है।

सहायक निदेशक (राजभाषा)
भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
राजभाषा अनुभाग, एमएमयू भवन, एफडीए भवन के पास, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
टेलीफोन नं. 011-23237442

संलग्न - बोली के लिए उत्तर का प्रपत्र

I. सामान्य जानकारी			
विवरण	पूरा ब्यौरा दिया जाए		
प्रत्यर्थी का ब्योरा			
नाम			
पता			
पंजीकरण विवरण			
व्यवसाय आरंभ होने की तारीख			
स्थिति (सावर्जनिक कम्पनी/निजी कंपनी/एजेंसी)			
टेलीफोन तथा मोबाइल संख्या		फैक्स	
ई-मेल		वेबसाइड	
संपर्क व्यक्ति का ब्योरा			
नाम			
पदनाम			
पता			
टेलीफोन तथा मोबाइल नं.		ई-मेल	

बोली प्रपत्र					
क्रम संख्या		**दर**	**सुविधाएं**	**दर (यदि हों)**	**अभिव्यक्ति/ स्पष्टीकरण**

घोषणा:- हम लोग...(कम्पनी/ संस्थान) तय दर के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

मोहर

दिनांक:

स्थान:

अस्वीकरण

1. 'रूचि की अभिव्यक्ति के उत्तर में दी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना के अधीन होगी। इसलिए एजेंसियों को सलाह दी जा रही है कि वे सांपत्तिक अथवा गोपनीय व्यवसाय संबंधी जानकारियों को अपने उत्तर में शामिल नहीं करें। अगर विक्रेतागण इस सूचना के उत्तर में कोई गोपनीय जानकारी शामिल करेंगे तो उसके सार्वजनिक हो जाने की जोखिम रहेगी।
2. इस रूचि की अभिव्यक्ति से एफएसएसएआई द्वारा सेवा-संविदा की वचनबद्धता नहीं मानी जाए। कृपया यह ध्यान रखें कि इस रूचि की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप प्रदत्त जानकारी की देयता का वहन एफएसएसएआई नहीं करेगा और रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने से संबंधित किसी खर्च की मान्यता अथवा प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।